

18.06.2024

फावली काज पेरा इन्दी प्रार्थी अधिवक्ता
की-धीमान खजी उपस्थित पेरिकार सरकार
उपस्थित अधिवक्ता संख्या एक व दो के अधिवक्ता
की राजेन्द्र कुरी उपस्थित अधिवक्ता संख्या तीन
के अधिवक्ता की राजेन्द्रसिंह काठ उपस्थित
अधिवक्ता संख्या पाँच अनुपस्थित - दोनों पक्षों
की बहस सुनी गई प्रार्थी की मूल अपील
निर्णित हो जाने से इस स्थान प्रार्थना पत्र पर
आव किसी की प्रकार की कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भए
प्रार्थना पत्र इकी स्वर पर खारिज किया जाय
है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। फावली
कैसल शुमार बकर नम्बर से कम है।

(शुभम-पांडेरी)
जिला कलक्टर, तिरोही